

31.05
24

तार्पना पत्र मूल वाप में संलग्न पेश हुआ। यदि
मूल वाप रवारिज किया जा चुका है। अतः
तार्पना पत्र विरस्त किया जाता है। तार्पना
पत्र संसदा शुभार नम्बर से कम होकर मूल
वाप में संलग्न हारिबल पत्र है।

